न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2509–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–15 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील हरसूद जिला खण्डवा, प्रकरण कमांक 01/अ–13/2014–15.

—

1–श्रीमती कृष्णाबाई पत्नी गणेश

2–चंदू पुत्र गणेश

निवासीगण छनेरा तहसील हरसूद

जिला खण्डवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती भारती पत्नी श्री सतीश जैन

निवासी ग्राम छनेरा तहसील हरसूद

जिला खण्डवा म0प्र0

.....अनावेदिका

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश 15–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार हरसूद जिला खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सडियापानी पु.आ. स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर कमशः 304/1, 304/2, 304/3 कुल रकबा 2.37 हेक्टेयर उसके द्वारा दिनांक 23–4–2002 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और विकय पत्र में विक्रेता ने इस बात का उल्लेख किया है कि उक्त भूमि में आने जाने के लिये रास्ता खसरा कमांक 304 की दक्षिणी मेढ से होते हुये पूर्व से पश्चिम दिशा 10 कड़ी का रास्ता अनोखी पिता आशाराम के खेत से खुला रहेगा । यह भी उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग आवेदक करता चला आ रहा है और अनावेदिका भी करेगी, परन्तु आवेदकगण द्वारा रास्ते पर निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने के लिये आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 15–7–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । साथ ही यह भी आदेश दिये गये कि आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रश्नाधीन रास्ते को नहीं रोकेंगे । यदि रोकेंगे तो बाधा हटाने का व्यय स्वयं का रहेगा, साथ ही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को विवाद की स्थिति होने पर पुलिस सहायता के माध्यम से उक्त रास्ता खुलवाया जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करने के निर्देश भी दिये गये । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् जॉच नहीं कर अंतरिम रूप से रास्ता देने का आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर था अथवा नहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया गया था कि उनके खेत से कोई रास्ता नहीं है और विकय पत्र में भी उल्लेख है कि अनावेदिका अनोखे के खेत से निकलेगी, जबकि अनावेदिका आवेदकगण के

खेत निकल रही है । इस आधार पर कहा गया कि प्रकरण में अनोखे हितबद्ध पक्षकार था, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल निरीक्षण के समय न तो आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर था, जिसका उपयोग विक्रेता लम्बे समय से करता आ रहा था और जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में भी किया गया है, अतः प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने संबंधी आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि विक्रेता अनोखे ने विक्रय पत्र में प्रश्नाधीन रास्ता बताया है और उसके द्वारा रास्ता नहीं रोका गया है, इसलिये उसे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नक्शे में रास्ता होना आवश्यक नहीं है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण के समय आवेदकगण को सूचना दी गई थी, परन्तु वे जानबूझकर मौके पर अनुपस्थित रहे हैं, क्योंकि एक बार आपत्ति प्रस्तुत होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दोबारा स्थल निरीक्षण किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिपरीक्षण का अवसर उस समय दिया जाता है जब किसी अन्य से प्रतिवेदन मंगाया जाये । चूँकि तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया है, इसलिये प्रतिपरीक्षण का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है जहाँ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । इस संबंध में 1989 आरएन 340 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर रास्ते के निशानात पाये गये हैं, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में

किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम करना है, जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं होना प्रमाणित कर सकते है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश 15–7–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.